भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 650

(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 जुलाई, 2018 को दिया गया)

कंपनियों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग-अलग करना

650. श्री संजय सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सेबी' को शीर्षस्थ कंपनियों में एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशकों के पद को अलग-अलग करने का आदेश जारी करने/सिफारिश करने का निर्देश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पदों को अलग-अलग करने की समय-सीमा तय करने का क्या कारण है; और
(घ) तत्संबंधी मुद्दे को लेकर सरकार का क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) के प्रथम परंतुक में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक ही समय में किसी कंपनी का अध्यक्ष और साथ ही एमडी/सीईओ नियुक्त/पुनःनियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उस कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा प्रावधान न हो या वह कंपनी एक साथ कई व्यवसाय न कर रही हो।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कारपोरेट शासन संबंधी कोटक समिति की सिफारिशों के आधार पर सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में संशोधन किए हैं, जिसमें प्रारंभ में सर्वोच्च 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 01.04.2020 से बाजार पूंजीकरण के आधार पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग किया गया है।

कार्यान्वयन की समय सीमा कंपनियों को इस नई अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त परिवर्तन समय देने के लिए रखी गई है।

*****